पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 538

==========

1. रीना देवी, पत्नी- स्व. श्री राम पांडे, पुत्री स्व.पारस पांडे, निवासी ग्राम-खरपकवा (हरखौली), पो.ओ. एवं पी.एस.-मीरगंज, जिला-गोपालगंज।
2. सुनीता देवी उर्फ शिवमाला पत्नी महेश पांडे, पुत्री स्वर्गीय पारस पांडे, निवासी ग्राम-पांडेय चकिया, पोस्ट-नरेंद्र डुमर, पोस्ट-भोरे, जिला गोपालगंज।
3. सुमन देवी, पत्नी त्रिलोकी चौबे, पुत्री स्वर्गीय पारस पांडे, निवासी ग्राम खुटवनिया, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज।
4. ममता देवी उर्फ पिंटू, पत्नी हरेश ओझा, पुत्री स्वर्गीय प्रसाद पांडे, ग्राम पांडेचकिया, पोस्ट-नरेंद्र डुमर, पोस्ट-भोरे, जिला-गोपालगंज।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सुधीर चौबे पुत्र अशोक चौबे, ग्राम-खुटवनिया, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज।
2. उदा. लालझारी कुवंर, पत्नी स्वर्गीय पारस पांडे, निवासी ग्राम-सवनही पट्टी, थाना-फुलवरिया, जिला-गोपालगंज।
3. रामविचारी देवी, पत्नी अशोक चौबे, पुत्री पारस पांडे, निवासी ग्राम-खुटवनिया, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज।

... ... प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री धनंजय कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों की ओर से : डॉ. हरेन्द्र नाथ ओझा, अधिवक्ता

==========

- *भारत का संविधान---अनुच्छेद 227---विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987----धारा 19, 20, 21 और 22---भूमि विवाद का न्यायनिर्णयन करने हेतु लोक अदालतों की शक्ति---पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए एक शीर्षक वाद में पक्षों के बीच समझौते के आधार पर स्थायी लोक अदालत, गोपालगंज द्वारा पारित दिनांक 26.10.2013 के पंचाट को रद्द करने के लिए याचिका---याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क कि पंचाट के साथ-साथ समझौता विलेख प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया था और स्थायी लोक अदालत के पास किसी भी भूमि विवाद में प्रवेश करने की कोई शक्ति नहीं है---प्रतिवादियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील देकर प्रतिवाद किया कि पंचाट समझौता विलेख के आधार पर पारित किया गया था जिस पर सभी पक्षों द्वारा बिना किसी आपत्ति के हस्ताक्षर किए गए थे।*

- *निर्णय: लोक अदालतों को निर्देश दिया गया है कि वे संपत्ति विवादों या लोक अदालतों में विवादास्पद मुद्दों से संबंधित विवादों, विशेष रूप से संपत्ति विवादों पर विचार न करें---इस निर्देश का उल्लंघन इस न्यायालय की अवमानना माना*

*जाएगा---लोक अदालत संपत्ति से संबंधित विवाद में प्रवेश नहीं कर सकती और उस पर निर्णय नहीं दे सकती---भले ही पक्षकार स्वयं लोक अदालत के समक्ष पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में समझौता कर लें और समझौते के आधार पर पंचाट पारित करने के लिए याचिका दायर करें, तब भी, लोक अदालत नवल किशोर प्रसाद सिंह निर्णय द्वारा बनाए गए कानूनी अवरोध को देखते हुए मामले में आगे नहीं बढ़ेगी---समझौता विलेख का वाचन प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में भारी रूप से है और समझौते के वाचन के पृष्ठों या अनुसूचियों पर पक्षों के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो संपत्ति के असमान वितरण को दर्शाता है---आलोचना किए गए पुरस्कार को अस्थिर माना गया और, इसलिए, इसे रद्द कर दिया गया-याचिका स्वीकार की गई। (पैरा **1, 3, 4, 11-15)***

- *सिविल विविध संख्या 13738 वर्ष 2019; सीडब्लूजेसी संख्या 16830 वर्ष 2011; एलपीए संख्या 1923 वर्ष 2011*

..... पर भरोसा किया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 25-07-2024

वर्तमान याचिका 2013 के टाइटेल सूट नंबर 377 मे स्थायी लोक अदालत गोपालगंज दवरा पारित पुरस्कार दिनांक 26-10-2013 को रद्द करने के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के एक ही पूर्वज स्वर्गीय पारस पांडे हैं। उक्त पारस पांडे की पांच बेटियां थीं, जो याचिकाकर्ता नं. क्रमशः 1, 2, 3, 4 और प्रतिवादी क्रमांक 3 है प्रतिवादी क्रमांक 2 पारस पांडे की पत्नी है और प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रतिवादी क्रमांक 3 का पुत्र और पारस पांडे का नाती है। पारस पांडे के हाथ में जो संपत्ति थी वह उनके पिता विंध्याचल पांडे की मृत्यु के बाद संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में उनके हिस्से में आई थी। विंध्याचल पांडे के चारों बेटों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और अपने हिस्से/जमीन पर अपना कब्जा कर लिया और तब से वे अलग-अलग रह रहे हैं और अपनी जमीन पर अलग-अलग खेती कर रहे हैं।

उक्त पारस पांडे की पांच बेटियां थीं और उनकी शादियां पारस पांडे के जीवनकाल में ही संपन्न कर दी गई थीं, जिनका कोई बेटा नहीं था। इसलिए, उन्होंने अपनी देखभाल के लिए अपनी सबसे बड़ी बेटी राम विचारी देवी के बेटे, प्रतिवादी नंबर 1, सुधीर चौबे को रखा। पारस पांडे की मृत्यु 07.06.2013 को हो गई और उनकी मृत्यु के बाद, सभी बेटियों ने अपने शेयरों का दावा किया और परिवार के सदस्यों के बीच यह निर्णय लिया गया कि बहनों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच शेयरों के वितरण के लिए स्थायी लोक अदालत में एक आवेदन दायर किया जाएगा। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा वादी के रूप में टाइटल सूट नंबर 377/2013 दायर किया गया था। उक्त मामले में, पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ और प्रत्येक बहन/सह हिस्सेदार के लिए शेयर तैयार किए गए और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद बहनों के व्यक्तिगत नाम पर जमीनें दे दी गईं। समझौते के दस्तावेज़ 24.10.2013 और उसके बाद विद्वान लोक अदालत के समक्ष दायर किए गए थे उक्त समझौते के आधार पर विद्वान स्थायी लोक अदालत ने 26.10.2013 को अपना अवार्ड पारित किया जिस पर सभी पक्षों ने हस्ताक्षर किये। याचिकाकर्ता अब सिविल विविध याचिका दायर करके इस पुरस्कार को रद्द करने की मांग करते हैं।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया की स्थायी लोक अदालत के पास किसी भी भूमि विवाद में प्रवेश करने की कोई शक्ति नहीं है और इसने उत्तरदाताओं और याचिकाकर्ताओं के मामले पर गलत तरीके से विचार किया। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करके उत्तरदाताओं द्वारा पंचाट भी प्राप्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं को संपत्तियों के बंटवारे के लिए तैयार की गई अनुसूचियां नहीं दिखाई गईं और न ही प्रतिवादी नंबर 1 ने उन याचिकाकर्ताओं से कोई राय मांगी जो अपने वैवाहिक स्थानों पर रह रहे थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को अंधेरे में रखा गया और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा भूमि को समान रूप से विभाजित नहीं किया गया। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक को अपने पूर्वजों की संपत्ति में समान हिस्सा मिला है और कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर लिए और समझौता

पत्र तैयार किया। प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुसूचियां तैयार कीं, जिसमें अनुसूची 1 प्रतिवादी नंबर 1 से संबंधित है और प्रतिवादी नंबर 1 ने अधिकांश संपत्तियां खुद रखीं और अनुसूची 2 से 5 उन याचिकाकर्ताओं के संबंध में हैं जो अपने विक्रेताओं की संपत्ति में सह-हिस्सेदार हैं। लेकिन यहां तक कि अनुसूची 2 से 5 में भी, शेयर का कोई समान वितरण/समान विभाजन नहीं है और यह प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा याचिकाकर्ताओं को आपस में झगड़ने का एक प्रयास था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि समझौता डिक्री वैध नहीं है क्योंकि यह धोखाधड़ी और गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने उसी पर हमला किया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि पंचाट 26.10.2013 को पारित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उनकी धारणा थी कि उन्हें बराबर शेयर आवंटित किए गए हैं। समझौता डिक्री देखकर उनकी उम्मीदें टूट गईं और उन्हें प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा धोखा दिया गया। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान स्थायी लोक अदालत का निर्णय न तो कानून में और न ही तथ्यों पर टिकाऊ है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, उतरदाताओ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि लोक अदालत का निर्णय पूरी तरह से कानूनी है और तथ्यों या कानून के आधार पर किसी भी तरह से दूषित नहीं है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, जिन्होंने समझौता विलेख की सामग्री को समझने के बाद उस पर अपने हस्ताक्षर किए। यदि याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति थी तो वे हस्ताक्षर करते समय इस मामले को उठा सकते थे समझौता विलेख जिस पर उनके वकीलों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं और उनके हस्ताक्षरों की पहचान की। यहां तक कि पुरस्कार पर सभी याचिकाकर्ताओं के हस्ताक्षर भी थे। इतने साल बीत जाने के बाद याचिकाकर्ताओं को फैसले को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकी। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तत्काल याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा है कि क्या स्थायी लोक अदालत को समझौते के आधार पर मुकदमे का निपटारा करने का अधिकार था और क्या स्थायी लोक अदालत के समक्ष दायर समझौता किसी एक पक्ष, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धोखाधड़ी के कारण दोषपूर्ण था।

6. कानूनी सेवाओं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (इसके बाद 'एलएसए अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 19, 20, 21 और 22 निम्नानुसार प्रदान करता है:

> *"**19. लोक अदालतों का आयोजन।**- (1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या, जैसा भी मामला हो, तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर तथा ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।*
> *(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में निम्नलिखित संख्या में शामिल होंगे-*
> *(क) कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी; और*
> *(ख) क्षेत्र के अन्य व्यक्ति, जिन्हें राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या, जैसा भी मामला हो, तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो ऐसी लोक अदालत का आयोजन करती है।*
> *(3) सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उप-धारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएं ऐसी होंगी जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।*
> *(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट के अलावा लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएं ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निर्धारित की जा सकती हैं।*
> *(5) लोक अदालत के पास निम्नलिखित के संबंध में विवाद के पक्षों के बीच समझौता या निपटारा निर्धारित करने और उस पर पहुंचने का अधिकार होगा-*
> *(i) पहले लंबित कोई मामला; या*
> *(ii) कोई मामला जो किसी ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसके समक्ष नहीं लाया जाता है जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है: बशर्ते कि लोक अदालत के पास*

किसी ऐसे मामले या मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी कानून के तहत समझौता योग्य नहीं है।

20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान।-- *(1) जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में,--*

(i) (क) उसके पक्षकार सहमत हों; या

(ख) उसके पक्षों में से कोई एक पक्षकार मामले को निपटान के लिए लोक अदालत को संदर्भित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करता है और यदि ऐसा न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे निपटान की संभावनाएं हैं; या

(ii) न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने योग्य है, तो न्यायालय मामले को लोक अदालत को संदर्भित करेगा: बशर्ते कि कोई भी मामला पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खंड (i) या खंड (ii) के उपखंड (ख) के अधीन लोक अदालत को संदर्भित नहीं किया जाएगा।

(2) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत आयोजित करने वाला प्राधिकरण या समिति, धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले के पक्षकारों में से किसी एक से आवेदन प्राप्त होने पर कि ऐसे मामले को लोक अदालत द्वारा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, ऐसे मामले को निर्धारण के लिए लोक अदालत को संदर्भित कर सकेगी: बशर्ते कि कोई भी मामला दूसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना लोक अदालत को संदर्भित नहीं किया जाएगा।

(3) जहां कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को संदर्भित किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसे संदर्भित किया गया है, वहां लोक अदालत मामले या मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी और पक्षों के बीच समझौता या समाधान पर पहुंचेगी।

(4) प्रत्येक लोक अदालत, इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी संदर्भ का निर्धारण करते समय, पक्षकारों के बीच समझौता या समाधान पर पहुंचने के लिए अत्यंत शीघ्रता से कार्य करेगी तथा न्याय, समता, निष्पक्षता और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई पंचाट नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समाधान नहीं हो सकता, वहां मामले का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, जहां से उपधारा (1) के अधीन संदर्भ प्राप्त हुआ है, ताकि उसका विधि के अनुसार निपटान किया जा सके।

(6) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई पंचाट नहीं दिया जाता है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले में पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समाधान नहीं हो सकता, वहां लोक अदालत पक्षकारों को न्यायालय में उपचार लेने की

सलाह देगी।

(7) जहां मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को लौटा दिया जाता है, वहां ऐसा न्यायालय ऐसे मामले को उस चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ेगा, जिस चरण पर उपधारा (1) के अधीन ऐसे संदर्भ से पहले पहुंचा था।

21. लोक अदालत का निर्णय- *[(1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहां धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को भेजे गए मामले में समझौता या निपटारा हो गया है, वहां ऐसे मामले में भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन उपबंधित तरीके से वापस किया जाएगा।]*

(2) लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

22. लोक अदालतों की शक्तियाँ*--(1) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को इस अधिनियम के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-*

(क) किसी गवाह को बुलाना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जा सकते हैं।

(2) उपधारा (1) में निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत [या स्थायी लोक अदालत] को अपने समक्ष आने वाले किसी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होंगी।

(3) लोक अदालत [या स्थायी लोक अदालत] के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराओं 193, 219 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएंगी और प्रत्येक लोक अदालत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझी जाएगी।

22-ए. परिभाषाएं- *इस अध्याय में तथा धारा 22 और 23 के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-*

(क) "स्थायी लोक अदालत" से धारा 22-बी की उपधारा (1) के अधीन स्थापित स्थायी लोक अदालत अभिप्रेत है।

(ख) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" से अभिप्रेत है कोई-

(i) यात्रियों या माल के वायु, सड़क या जल द्वारा परिवहन सेवा; या

(ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा; या

(iii) किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या जल की आपूर्ति; या

(iv) सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता की प्रणाली; या

(v) अस्पताल या औषधालय में सेवा; या

(vi) बीमा सेवा, और इसमें कोई सेवा सम्मिलित है जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक हित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करे।

***22-बी. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना**-(1) धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर और एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। (2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे-*

(क) ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश से उच्च रैंक का न्यायिक पद धारण कर चुका है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा; और

(ख) सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर नामित किया जाएगा, केन्द्रीय प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो ऐसी स्थायी लोक अदालत की स्थापना करेगा और अध्यक्ष और खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

7. के मामले में लालन पांडे अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य।

(2019 का सिविल विविध क्रमांक ***13738*** दिनांक ***22.09.2023*** को निस्तारित***)***, के मामले मे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पैराग्राफ 11 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

> *"इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों और इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि इस मामले में विभाजन वाद का विषय किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित नहीं है, जिस पर स्थायी लोक अदालत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। इस मामले में अधिकार क्षेत्र न रखने वाले न्यायालय/प्राधिकरण को पक्षकारों द्वारा उनकी सहमति से अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है और उक्त न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसका विषय क्षेत्र पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, कानून की दृष्टि में अमान्य है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि स्थायी लोक अदालत का विवादित निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर है।"*

8. उक्त आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था की लोक अदालत का गठन एलएसए अधिनियम की धारा 22 (बी) के तहत किया गया है और यह केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में विवाद का समाधान कर सकता है। हालाँकि, राम प्रवेश सिंह बनाम**.** बिहार राज्य एवं अन्य। ***(2011*** का सीडब्ल्यूजेसी नंबर ***16830)*** के मामले मे विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि एलएसए अधिनियम की धारा 22-बी के तहत कोई स्थायी लोक अदालत नहीं है। बिहार में जो लोक अदालतें चल रही हैं, वे एलएसए अधिनियम की धारा 19 के तहत गठित लोक अदालतें हैं। धारा 19 के तहत गठित उक्त लोक अदालतों को लगातार बैठाया जाता है और इसलिए, प्रत्येक जिले में लोक अदालतों को आम तौर पर स्थायी लोक अदालत कहा जाता है।

9. तो, मुद्दा इस तथ्य पर आकर रुक जाता है कि क्या लोक अदालत धारा 22 बी के तहत एक स्थायी लोक अदालत है या क्या यह एलएसए अधिनियम की धारा 19 के तहत एक सतत लोक अदालत है? यदि यह धारा 22 बी के तहत स्थायी लोक अदालत है, यह होगा की पार्टियों के विभाजन मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है चूँकि विषय वस्तु का सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से कोई संबंध नहीं था जिसके लिए स्थायी लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। दूसरी ओर, यदि यह सतत लोक अदालत है जिसका गठन

एलएसए अधिनियम की धारा 19 के तहत किया गया है, तो एलएसए अधिनियम की धारा 20 (2) को पढ़ने से पता चलेगा कि यदि पक्ष सहमत हैं और पार्टियों में से एक आवेदन करता है अदालत के अनुसार, लोक अदालत पक्षों के बीच समझौते/समझौते के आधार पर मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी।

10. मैं राम प्रवेश सिंह विद्वान एकल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हूं की जिस लोक अदालत ने मामले को निपटाया, उसे एलएसए अधिनियम की धारा 22 बी के तहत गठित लोक अदालत नहीं कहा जा सकता है और यह केवल एलएसए अधिनियम की धारा 19 के तहत एक लोक अदालत है, जैसा कि धारा के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है। एलएसए अधिनियम की धारा 19 से धारा 22-बी इसे पूरी तरह स्पष्ट करती है।

11. जहाँ तक लोक अदालतों के समक्ष संपत्ति विवाद के संदर्भ का सवाल है, इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने ***नवल किशोर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (एलपीए संख्या 1923/2011 दिनांक 27.11.2013 को निर्णीत)*** के मामले में सभी लोक अदालतों को निर्देश दिया है कि वे संपत्ति विवाद या लोक अदालतों में विवादास्पद मुद्दों से जुड़े विवादों, विशेषकर संपत्ति विवादों पर विचार न करें। इस निर्देश का उल्लंघन इस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।

12. यद्यपि लोक अदालत का निर्णय दिनांक 26.10.2013 है तथा **नवल किशोर प्रसाद सिंह** (सुप्रा) में आदेश दिनांक 27.11.2023 को पारित किया गया, फिर भी विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। **नवल किशोर प्रसाद सिंह** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने अपने आदेश में निम्न प्रकार से टिप्पणी की है::

> *"हालाँकि, हमें इसका अफसोस है लोक अदालत को संपती के निपटारा मे ऐसा न करने की स्थाई निर्देश दिये गए है बिहार राज्यों के लोक अदालतों मे संपती संबंधी बिवादों लोक अदालत मे प्राप्त करने और लोक अदालत मे मुकदमे बाजी से बदले की स्थिति मे समझौता रिकार्ड की प्रवृति है*
>
> *स्वामित्व के प्रमाण के अभाव में संपत्ति; पार्टियों की पहचान और दावों की वास्तविकता, स्वामित्व या बटवारा या कब्जा के लिए कोई डिक्री नहीं पारित किया जा सकता है। जब*

कोई लोक अदालत के पास जाता है तो किसी के मामले को प्रस्तुत करने का चरण ही नष्ट हो जाता है

13. अतः विवादित मामलों में लोक अदालत संपत्ति के संबंध में विवाद में प्रवेश नहीं कर सकती और न ही उस पर निर्णय दे सकती है, लेकिन यदि पक्षकार स्वयं लोक अदालत के समक्ष समझौता दायर करते हैं तो क्या स्थिति होगी? ऐसे मामले में यदि पक्षकार मुकदमेबाजी से पहले लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं और समझौते के आधार पर पुरस्कार पारित करने के लिए याचिका दायर करते हैं, तब भी लोक अदालत **नवल किशोर प्रसाद सिंह** (सुप्रा) द्वारा बनाए गए कानूनी अवरोध को देखते हुए मामले में आगे नहीं बढ़ेगी।

14. इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि लोक अदालतों द्वारा संपत्ति विवाद पर विचार करने पर प्रतिबंध जारी है और इस कारण, इसके समक्ष दायर विभाजन मामले में पारित किया गया पुरस्कार नवल किशोर प्रसाद सिंह (सुप्रा) के मामले में जारी निर्देश के विपरीत है।

15. जहां तक संपत्ति के असमान वितरण के बारे में याचिकाकर्ताओं के तर्क का सवाल है, यह प्रथम दृष्टया इस बात का उदाहरण है कि पक्षकारों की उचित सहमति से निर्णय पारित नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में उनके साथ धोखा हुआ है, यदि समान पूर्वज पारस पांडे की पांच बेटियां थीं, तो यह उम्मीद की जाती है कि उनके हिस्से बराबर होंगे और असमानता के मामले में, इसे निपटान विलेख में ही स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन निपटान विलेख का विवरण प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में है और निपटान विलेख के पन्नों या अनुसूचियों पर पक्षों के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो संपत्ति के असमान वितरण को दर्शाता है।

16. इन तथ्यों और परिस्थितियों तथा पूर्व में की गई चर्चा, विशेष रूप से नवल किशोर प्रसाद सिंह (सुप्रा) में एल.पी.ए. संख्या 1923/2011 के आदेश के आलोक में, मैं नहीं समझता कि टाइटल सूट संख्या 377/2013 में स्थायी लोक अदालत, गोपालगंज द्वारा पारित दिनांक 26.10.2013 का विवादित अवार्ड संधारणीय है, अतः उसे अपास्त किया जाता है।

17. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है।

18. हालाँकि, पक्षकारों को कानून के अनुसार सक्षम मंच के समक्ष सभी मुद्दे उठाने की स्वतंत्रता है।

19. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को निर्देश दिया जाता है कि वे कार्यालय द्वारा बताई गई सभी खामियों को चार सप्ताह के भीतर दूर करें।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के.पाण्डेय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।